

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 28.07.2025 को सांय 05.30 बजे माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित 251वीं बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| 1. डॉ. देबाशीष पृष्ठी | अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगर विकास एवं आवासन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. रश्मि शर्मा | आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल | सदस्य |
| 3. श्री विनय कुमार दलेला | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान | सदस्य |

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री नवीन जैन, द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे:-

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. डॉ. अनिल पालीवाल | सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल |
| 2. श्री रोहताश सिंह यादव | वित्तीय सलाहकार, |
| 3. श्री गिरधारी लाल जाखड़ | निदेशक विधि |
| 4. श्री अमित अग्रवाल | मुख्य अभियन्ता-प्रथम |
| 5. श्री तेजवीर सिंह मीना | मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) |
| 6. श्री प्रतीक श्रीवास्तव | मुख्य अभियन्ता-द्वितीय |
| 7. श्री पौद्धार प्रकाश शार्दूल | वरिष्ठ नगर नियोजक |
| 8. श्री संजय शर्मा | उप आवासन आयुक्त |
| 9. श्री विश्वमित्र मीना | सम्पदा प्रबंधक (मुख्यालय) |

--:: कार्यवाही विवरण ::--

विचार बिन्दु सं	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
251.1	दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न हुई मण्डल की 250वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि	दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न हुई मण्डल की 250वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गयी।	Secretary
251.2	दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न हुई मण्डल की 250वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ	दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न हुई मण्डल की 250वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

251.3	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में विकसित किये जा रहे सिटी पार्क के Development work of Entrance Plazas and Parking area between V.T. road & Aravali Marg at City Park Project, Mansarovar, Jaipur कार्य हेतु राशि रु. 2897.42 लाख की राज्य सरकार द्वारा संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर अनुमोदनार्थ बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	CE-I
251.4	मण्डल के संशोधित बजट वर्ष 2024-25 एवं प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2025-26 के अनुमोदन हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार मण्डल के संशोधित बजट वर्ष 2024-25 एवं प्रस्तावित बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया।	FA
251.5	नवीन मॉडल भवन विनियम-2025 राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने बाबत	प्रस्तावानुसार नवीन मॉडल भवन विनियम-2025 राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।	ACTP
251.6	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 09 (कॉर्नर), कॉमर्शियल बैल्ट "बी", फेज-बी, वी.टी. रोड़ मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर की बिड स्वीकृति/अस्वीकृत बाबत।	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 09 (कॉर्नर), कॉमर्शियल बैल्ट "बी", फेज-बी, वी.टी. रोड़ मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर की बिड अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही भूखण्ड का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित किया गया।	FA
251.7	विभागीय पदोन्नति वर्ष 2025-26 में लोकसेवकों को पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में शिथिलन दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार विभागीय पदोन्नति वर्ष 2025-26 में लोकसेवकों को पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में शिथिलन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	Secretary
251.8	आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2025-26 की अवधि दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 की संचालक मण्डल	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	FA

	की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।		
251.9	नीलामी के ऐसे प्रकरण जिनमें दिनांक 29.06.2024 से 22.04.2025 तक अवधि को शून्य मानकर उक्त अवधि में शिथिलता प्रदान करने हेतु जारी आदेश क्रमांक राआम/सीआरओं/2025-26/40 दिनांक 22.04.2025 के अनुमोदन किया जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार वर्णित अवधि में शिथिलता प्रदान करने हेतु जारी किये गये आदेश क्रमांक राआम/सीआरओं/2025-26/40 दिनांक 22.04.2025 का अनुमोदन किया गया।	FA
251.10	मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर में सेक्टर-06, गंगा मार्ग पर स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 6/सी/3 का दिनांक 23.10.2024 को आयोजित ई-ऑक्शन नीलामी द्वारा निस्तारण एवं मण्डल मुख्यालय से जारी निरस्तीकरण उपरान्त सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय पश्चात् निरस्तीकरण आदेश की मण्डल की संचालक मण्डल की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार निरस्तीकरण का अनुमोदन किया गया। उक्त भूखण्ड का नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।	FA
251.11	श्री बी.एल.मीणा, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के बाहर (ओ.पी.डी.) रोगी के रूप में चिकित्सा पुर्नभरण राशि के भुगतान का मण्डल बैठक में स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार श्री बी.एल.मीणा, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को राजीव गांधी कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर दिल्ली अस्पताल से बाह्य (ओ.पी.डी.) रोगी के रूप में खरीदी जाने वाली दवाईयों के बिलों का भुगतान बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए.सी.) के किये जाने का अनुमोदन किया गया।	FA
251.12	माननीय विधायकगण हेतु विधायक नगर (पश्चिम) में निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिले फ्लेट्स की परियोजना की राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक प.	प्रस्तावानुसार माननीय विधायकगण हेतु विधायक नगर (पश्चिम) में निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिले फ्लेट्स की परियोजना की राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक प.18(6)नविवि/1/2015	Dir. Project/ CE-1

	18(6)नविवि/1/2015 जयपुर दिनांक 27.06.2024 राशि रुपये 313,58,46,000.00 के अनुमोदन के संबंध में।	जयपुर दिनांक 27.06.2024 राशि रुपये 313,58,46,000.00 का प्रस्तावनुसार अनुमोदन किया गया।	
251.13	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों हेतु "ALL INDIA Services Residency" (Phase-III) आवासीय योजना प्रारम्भ करने की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव संचालक मण्डल से स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार ALL INDIA Services ACT-1954 के अनुसार केवल अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों हेतु ही "ALL INDIA Services Residency" (Phase-III) आवासीय योजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I

बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये:-

क्र सं.	प्रदत्त निर्देश	कार्यवाही द्वारा
1.	सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में Front Water Body के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से बेरिकेटिंग स्ट्रीप लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	CE-I
2.	रियलस्टिक ऑक्शन कलेंडर बनाया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।	FA, CEM
3.	मार्केटिंग की स्ट्रेटजी तैयार कर आरआईसी के कार्यक्रम स्थलों, जवाहर कला केन्द्र एवं रविन्द्र मंच आदि पर डेक्स लगाने एवं आने वाले त्यौहारों के अनुसार स्ट्रेटजी तैयार कर मार्केटिंग प्लान बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	PRO
4.	धनतेरस एवं नवरात्रि आदि त्यौहारों के अवसर पर नवीन आवासीय योजनाओं एवं नीलामी योजना जारी करने एवं इससे पूर्व योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया।	CE(HQ), PRO, CEM
5.	आगामी तीन माह में होने वाले उद्घाटन/लोकार्पण कार्यक्रमों की कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	CE-I, II
6.	नवनियुक्त परीक्षार्थी प्रशिक्षणार्थियों हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु एस.ओ.पी. एवं मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE(HQ), SECY
7.	मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्री बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	LAO, CE-I, II
8.	मण्डल की जोधपुर शहर में विकसित की जा रही बडली आवासीय योजना का पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया।	CE-II
9.	राजस्थान वित्त निगम से मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का आमेलन मण्डल में किये जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्य की आवश्यकता का आकलन कर सुझाव देने हेतु सचिव, वित्तीय सलाहकार एवं निदेशक विधि की समिति गठित किया जाकर	SECY, FA, DL

	गुणावगुण के आधार पर आवश्यक होने पर प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	
10.	सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में प्रस्तावित एमएनआईटी से लागत सिद्धान्तों के नियमानुसार प्रीमियम चार्ज लागत में जोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया।	CE-I
11.	भूखण्ड संख्या 28/सी/02, आयुष मार्केट, प्रताप नगर जयपुर के पेटे जमा राशि नियमानुसार लौटायी जाने हेतु पत्रावली पर परिक्षणोंपरान्त प्रकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	FA
12.	माननीय विधायकगण हेतु विधायक नगर (पश्चिम) में निर्मित एम.एल.ए. प्लेटस निर्माण का प्रशासनिक शुल्क हेतु परिक्षणोंपरान्त पत्रावली पर कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं एवज में राज्य सरकार से भूमि आवंटित करवाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE-I

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(डॉ. अनिल कुमार)
सचिव